



सोनभद्र पुलिस



प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 15.10.2026

मिशन शक्ति फेज-6.0 एवं Operation Conviction के तहत: सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल ₹46,000/- अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, विन्ध्याचल परिक्षेत्र, मिर्जापुर के कुशल पर्यवेक्षण तथा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र **श्री अभिषेक वर्मा** के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे “**Operation Conviction**” अभियान के क्रम में सोनभद्र पुलिस द्वारा **मिशन शक्ति फेज-6.0** के अंतर्गत महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता के साथ प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी विवेचना, सुदृढ़ साक्ष्य संकलन एवं अभियोजन पक्ष की प्रभावी न्यायालयीन पैरवी के फलस्वरूप **थाना राबर्ट्सगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 400/2019, धारा 452, 376, 506 भादवि एवं ¾ पॉक्सो एक्ट** से संबंधित अभियोग में माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो, सोनभद्र द्वारा अभियुक्त **कमलेश मौर्या** पुत्र विजय मौर्या निवासी भटौलिया, थाना राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र को दोषसिद्ध करते हुए विभिन्न धाराओं में कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण का विवरण-

थाना – राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र

एसटी संख्या – 69/2019

मु0अ0सं0 – 400/2019

धारा – 452, 376, 506 भादवि एवं ¾ पॉक्सो एक्ट

दोषसिद्ध अभियुक्त का विवरण-

कमलेश मौर्या पुत्र विजय मौर्या निवासी भटौलिया, थाना राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।

आज दिनांक 15.10.2026 को माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो, सोनभद्र द्वारा अभियुक्त को—

- धारा 376 भादवि में 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹25,000/- अर्थदण्ड से।
- धारा 452 भादवि में 05 वर्ष के कारावास एवं ₹20,000/- अर्थदण्ड से।
- धारा 506 भादवि में 01 वर्ष के कारावास एवं ₹1,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में न्यायालय द्वारा अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान किया गया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

थाना राबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा की गई प्रभावी विवेचना, साक्ष्यों के सुदृढ़ संकलन, अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रभावी न्यायालयीन पैरवी, कोर्ट मोहरीर के समन्वय तथा जनपद मॉनिटरिंग सेल द्वारा सतत निगरानी एवं प्रभावी अनुश्रवण के परिणामस्वरूप अभियुक्त को दोषसिद्ध कराते हुए माननीय न्यायालय से प्रभावी सजा सुनिश्चित कराई गई।